राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

प्रेषक	प्रेषिति
अधीक्षक	निदेशालय,
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय	पशुपालन विभाग,
जयपुर	जयपुर

क्रमांक : राज-पत्र/2017-18/3133 दिनांक 31.7.2017

योजना 3507 3/8/17

विषय:- राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के गठन का राज पत्र में प्रकाशन के क्रम में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र सं. प.5 दि. 26/7/2017

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी अधिसूचना की फोटो प्रति का रिकार्ड में तलाशने पर पाया कि उक्त अधिसूचना का राज-पत्र में साधारण अंक 21 दि० 22/8/1991 भाग 1(ख) में प्रकाशन हो गया है। राजपत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- फोटो प्रति

JD ([illegible])

भवदीय

3/7/17

अधीक्षक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय

जयपुर

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 28, 1991

संख्या एफ. 8 (60) एग्री/ग्रुप VI/70-11.—राज्य सरकार इसके द्वारा जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1.	मंत्री, पशु पालन या कोई विख्यात प्रशासकीय व्यक्ति, जिसकी राज्य में जीव जन्तु कल्याण के क्षेत्र में ख्याति हो।	अध्यक्ष
2.	सचिव, पशु पालन विभाग	सदस्य
3.	निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव
4.	निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	सदस्य
5.	निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6.	मुख्य वन्य जीव वार्डन,	सदस्य
7.	दो ऐसे व्यक्ति जो जीव जन्तु कल्याण किसी कोटि में सक्रिय रूप से लगे हुए हों और जो सुविख्यात मानवतावादी हों इनका नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।	सदस्य
8.	राज्य के पशु चिकित्सा व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति	सदस्य

बोर्ड के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) जीव जन्तुओं को अनावश्यक पीड़ा, यातना देने के विरुद्ध लोकमत बनाने और आमतौर पर जीव जन्तु कल्याण के अभिवर्धन को प्रोत्साहित करना,

(ii) राज्य में जीव जन्तु कल्याण संगठन बनाने को प्रोत्साहित करना,

(iii) राज्य में जीव जन्तुओं की अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के प्रयोजन के लिए या जीव जन्तु और पक्षियों की संरक्षा के लिये स्थापित संस्थाओं या निकायों के कार्य में सहयोग और समन्वय करना,

(iv) सभी व्यक्तियों में विशेष तौर पर युवा विद्यार्थियों में जीव जन्तुओं के प्रति प्रेम और मानवता की भावना बैठाने के लिए सभी संभव उपाय करना,

(v) केन्द्रीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के सानिध्य में कार्य करना, और

(vi) जीव जन्तु कल्याण से संबंधित विधियों में परिवर्तनों की बाबत सरकार को सिफारिशें करना।

पदावधि

(i) बोर्ड के सभी नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक बने रह सकेंगे और वे पुनः नाम निर्देशन के पात्र हो सकेंगे और वे सरकार द्वारा प्रथम श्रेणी के पदधारियों के लिये समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गयी दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के भी पात्र हो सकेंगे।

(ii) बोर्ड द्वारा किये गये किसी कार्य या की गयी कार्यवाही पर मात्र

बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर आक्षेप नहीं किया जायेगा।

स्टाफ और निधियां

पशुपालन विभाग उप निदेशक स्तर पर बोर्ड को इसके दिन प्रति दिन के कार्य के लिये, सेवाएं दे सकेगा। बोर्ड बन जाने के पश्चात ही विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए भविष्य में कुछ निधियां दी जायेगी। बोर्ड के अशासकीय सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की आवश्यकता का वहन पशुपालन विभाग अपने विद्यमान बजट व्यवस्थाओं में से करेगा।

बोर्ड के कृत्य

(1) जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिये राज्य में प्रवृत्त विधि का बराबर अध्ययन करना और ऐसी किसी विधि में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों की बाबत सरकार को सलाह देना,

(2) शेडों, जलनादों और तद्रूप चीजों का सन्निर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करके और जीव जन्तुओं के लिये पशु चिकित्सा सहायता उपबन्धित करके भारवाहक पशुओं की दशा सुधारने के लिये सभी ऐसे उपाय करना जिन्हें बोर्ड ठीक समझे,

(3) वधशालाओं के डिजाइन की बाबत या वधशालाओं को चलाने के संबंध में या जीव जन्तुओं के वध के संबंध में राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह देना जिससे जहां तक संभव हो वध से पहले के प्रक्रमों में अनावश्यक पीड़ा या यातना का चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, विलोप हो जाये और जहां कहीं आवश्यक हो वहां जीव जन्तुओं का वध यथा साध्य मानवोचित रीति में किया जाय।

(4) जीव जन्तुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के प्रयोजन के लिये या जीव जन्तुओं तथा पक्षियों की संरक्षा के लिए स्थापित संस्थाओं या निकायों के कार्य में सहयोग और समन्वय करना,

(5) जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सीय देख रेख पर और सावधानी का उपबंध हो उससे सम्बंध विषयों पर सरकार को सलाह देना और जब कभी बोर्ड आवश्यक समझे जीव-जन्तु अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता देना,

(6) जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित बरताव करने की शिक्षा देना और जीव जन्तुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने के विरुद्ध और जीव जन्तु कल्याण के अभिवर्धन के पक्ष में भाषणों, पुस्तकों, पोस्टरों चलचित्र प्रदर्शनों और तद्रूप साधनों के द्वारा लोकमत बनाने को प्रोत्साहित करना,

(7) जीव जन्तु कल्याण से या जीव-जन्तुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने का निवारण करने से संबंधित किसी विषय पर सरकार को सलाह देना।